रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2011/चैत्र 3, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318
No. 55] DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2011/CHAITRA 3, 1933 [N.C.T.D. No. 318

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 24 मार्च, 2011

सं. एफ. 7(1)/रा.स्व./स.र./जी.ए./99/758.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 141 दिनांक अप्रैल 30, 2010 और आदेश संख्या 446 दिनांक अक्टूबर 20, 2010 के संदर्भ में श्री कुलदीप सिंह गंगर (दानिक्स) ने दिनांक मई 7, 2010 (अपराह्न) को अतिरिक्त सचिव (राजस्व)/ए.डी.एम. (मुख्यालय) तथा श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स ने दिनांक नवम्बर 9, 2010 को ए.डी.एम. (उत्तर-पश्चिम), का कार्यभार सम्भाल लिया है। अत:—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री कुलदीप सिंह गंगर, दानिक्स तथा (2) श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री कुलदीप सिंह गंगर, दानिक्स तथा (2) श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री कुलदीप सिंह गंगर, दानिक्स तथा (2) श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री कुलदीप सिंह गंगर, दानिक्स तथा (2) श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

D. C. (South)
Date 24/05/11
Diary No. 9291

के उपराज्यपाल (1) श्री कुलदीप सिंह गंगर, दानिक्स तथा (2) श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग (कंसोलिडेशन तथा प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन) अधिनियम, 1948 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री कुलदीप सिंह गंगर, दानिक्स तथा (2) श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा धारा 21(3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

दीपक मोहन स्पोलिया, प्रधान सचिव/मंडलायुक्त

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2011

No. F. 7(1)/Rev. Estt./S.R./GA/99/758.—In pursuance of Services Department's Order No. 141 dated April 30, 2010 and Order No. 446 dated October 20, 2010, Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS has joined as Additional Secretary (Revenue)-cum-Additional District Magistrate (HQ) on May 7, 2010 (A/N) and Sh. K. D. Dogra, DANICS has joined as Additional District Magistrate (North-West) on November, 9, 2010. Now, therefore,—

1. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint (1) Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS and (2) Sh. K. D. Dogra, DANICS as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates them the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

2. In exercise of the powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower (1) Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS and (2) Sh. K. D. Dogra, DANICS to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3. In exercise of the powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS and (2) Sh. K. D. Dogra, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS and (2) Sh. K. D. Dogra, DANICS the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

5. In exercise of the powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS and (2) Sh. K. D. Dogra, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

6. In exercise of the powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoint (1) Sh. Kuldeep Singh Gangar, DANICS and (2) Sh. K. D. Dogra, DANICS and delegate them the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

D. M. SPOLIA, Pr. Secy./Divisional Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.